



बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय  
वेटनरी कैम्पस, पटना-14



पत्रांक- 8 बजट (1) 17/2026... 57 (नि) आ०

दिनांक- 28/09/2026

प्रेषक

श्रीकान्त शास्त्री, भा0प्र0से0

निदेशक, पशुपालन,

बिहार, पटना।

सेवा में

विशेष उप निदेशक (पशु विकास)

फ़ोजेन सिमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन,

पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या 02, केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन बजट बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0201 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02-2403001010201, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0206 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02-2403007890206 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, 0228 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02-2403007960228 के अन्तर्गत कुल ₹ 3,79,00,000/- (तीन करोड़ उनासी लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय राज्यादेश संख्या-4960 दिनांक 11.09.2026 के आलोक में कुल ₹ 3,79,00,000/- (तीन करोड़ उनासी लाख) मात्र निम्न तालिका के अनुसार आवंटित किये जाते हैं।

| क्र० सं० | विषय शीर्ष                 | विपत्र कोड-<br>02-2403001010201<br>(केन्द्रांश 60% + राज्यांश 40%) | विपत्र कोड-<br>02-2403007890206<br>(केन्द्रांश 60% + राज्यांश 40%) | विपत्र कोड-<br>02-2403007960228<br>(केन्द्रांश 60% + राज्यांश 40%) | कुल आवंटित राशि<br>(रु० में) |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | 2                          | 3                                                                  | 4                                                                  | 5                                                                  | 6                            |
| 1        | 31.06-सहायक अनुदान-गैरवेतन | 3,13,99,167                                                        | 60,31,667                                                          | 4,69,166                                                           | 3,79,00,000                  |
|          | कुल:-                      | 3,13,99,167                                                        | 60,31,667                                                          | 4,69,166                                                           | 3,79,00,000                  |

(तीन करोड़ उनासी लाख) मात्र।

2- इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या 02, केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 101 पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, 0201 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02-2403001010201, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0206 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02-2403007890206 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, 0228 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विपत्र कोड 02-2403007960228 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3- यह आवंटन केन्द्र प्रायोजित योजना- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (Livestock Health & Disease Control Programme - LH & DCP) अन्तर्गत "Assistance to states for Control of animal Diseases - ASCAD" के तहत पशुओं में Lumpy Skin Disease (LSD) रोग के विरुद्ध निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के प्रतिबद्ध देनदारियों (Committed liabilities) के भुगतान (केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत) हेतु दिया जा रहा है।

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 (2) दिनांक-17.04.98, 236/वि0 दिनांक 09.03.2026, 314/वि0 दिनांक 01.04.2026 एवं 380/वि0 दिनांक 20.04.2026 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग -1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2026-27 का प्रत्येक प्रतिवेदन 15 मार्च 2027 तक उपलब्ध कराया जाय।

5- जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप सं० - 8 बजट (1) 17/2026... 57 (नि०) आ०

पटना-14, दिनांक 28/09/2026

प्रतिलिपि - उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या टी0 ए0 -57-96-97 प0 पा0 -9 -46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में/ उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार को उनके पत्रांक एम0-405/98 पार्ट -3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा-09, योजना शाखा-10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।